

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/सी-1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/ 2019-20 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री फूलसिंह व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि अर्जुनसर बीकानेर का स्थानांतरण श्री मनीलाल पांड्या राउमावि सिमलवाड़ा (चौरासी) डूंगरपुर किया गया। श्री फूलसिंह द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 14704/2019 फूलसिंह बनाम सरकार दायर की गई।

याचिका संख्या 14704/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री फूलसिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री फूलसिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हेपेटाइटिस बी (काला पीलिया) तथा लीवर केन्सर (फर्स्ट स्टेज) के उपचाराधीन होने संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। की श्रेणी में रखा गया है। उक्तानुसार याचिकार्थी श्री फूलसिंह के स्थान पर अन्य कार्मिक का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में तथा याचिकार्थी द्वारा इच्छित पदस्थापन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने के कारण गृह जिले में पदस्थापन किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग इनका अभ्यावेदन/परिवेदना एतद् द्वारा स्वीकृत करते हुए इनका पदस्थापन नजदीकी जिले चूरु के सेठ झूमरमल सेठिया राउमावि चाडवास, बिदासर, चूरु में व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर पदस्थापित कर अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। श्री फूलसिंह को निर्देशित किया जाता है कि ये तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता के रिक्त पद पर दिनांक 18.10.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएँ/(वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी पक्षकार सूचित होंगे।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-1/अंग्रेजी/एसबीसियासं 14704/फूल सिंह/2019/34 दिनांक:- 16/10/2019

> प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिता दोचानियां के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग-प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को मय आवश्यक संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक श्री फूल सिंह व्याख्याता, अंग्रेजी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)